कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 526 /01/आउशि/शा.1/2024 दिनांक– 21/08/2024

प्रति,

1– कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय म.प्र.

2– प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय म.प्र.

विषय– ई–प्रवेश हेतु विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग (सीएलसी) के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीएलसी के चतुर्थ चरण की समय – सारणी के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 721/01/आउशि/ शा.1/2024 दिनांक 20.08.2024 को निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1– विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर आफलाइन आवेदन कर रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकेगें। सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य विषय अथवा अन्य महाविद्यालय में जहाँ सीट रिक्त हैं वहाँ सीधे प्रवेश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र देगें ।

2– महाविद्यालय को किसी भी विषय में सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी तथा विद्यार्थी दिनांक 31 अगस्त 2024 तक ही प्रवेश प्राप्त कर सकेगें

3– महाविद्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त सीटों में प्रवेश की अनुमति अग्रणी प्राचार्य के माध्यम से संबंधित अतिरिक्त संचालक से प्राप्त करनी होगी।

4– महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रवेश की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रतिदिन अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को उपलब्ध करायेंगें ।

5– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक प्रतिदिन प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

6– महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी निर्धारित एक्सेल फार्मेट में साफ्ट कापी संभागवार आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध करायेंगें ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. तुलसीराम दहायत)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.

क्रमांक 527/01/आउशि/शा.1/2024 दिनांक– 21/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र.।
2. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.
3. कार्यपालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल (म.प्र.)।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा म.प्र.